राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1376/2023

मनीष कुमार रांकावत

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजस्व विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 04.05.2023
आदेश की दिनांक : 04.05.2023

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री धीरेन्द्र सिंह, अभिभाषक।

समक्ष :– अनन्त भण्डारी, सदस्य(न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने इस अपील में तहसीलदार पीसांगना, जिला अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.05.2023 को चुनौती दी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी व जयप्रकाश भाटी के मध्य राजकीय दायित्वों/कर्त्तव्यों में परिवर्तन किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में भी आदेश दिनांक 21.03.2023 के द्वारा अपीलार्थी व जयप्रकाश भाटी के मध्य निर्धारित राजकार्यों में परिवर्तन किया गया था, जिस आदेश दिनांक 21.03.2023 को अपीलार्थी ने इस अधिकरण में अपील संख्या 1137/2023 के जरिये चुनौती दी थी। उक्त अपील गुणावगुण पर दिनांक 03.05.2023 को खारिज की गई थी।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि आदेश दिनांक 21.03.2023 जारी किये जाने के पश्चात उक्त आदेश को दिनांक 18.04.2023 के जरिये निरस्त किया गया था। बाद में आलौच्य आदेश दिनांक 02.05.2023 के जरिये पुनः दायित्वों/कर्त्तव्यों का निर्धारण किया गया। अपीलार्थी ने यह भी कथन किया है कि प्रत्यर्थी संख्या–4 के विरूद्ध काफी संख्या में शिकायतें हैं। ऐसे में जो कर्त्तव्य प्रत्यर्थी संख्या–4 जयप्रकाश भाटी को दिये गए हैं, उन्हें वो दिया जाना उचित नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी निजी प्रत्यर्थी से वरिष्ठ है, ऐसे में

जो कार्य निजी प्रत्यर्थी को दिये गए हैं, उन्हें वो कार्य अपीलार्थी को वरिष्ठता के आधार पर दिये जाने चाहिए।

3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गए तर्कों पर विचार किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में अपीलार्थी और निजी प्रत्यर्थी के मध्य कार्य आवंटन किया गया था, जिसे अपीलार्थी ने इस अधिकरण में अपील संख्या 1137/2023 में चुनौती दी थी। उक्त अपील में इस अधिकरण ने दिनांक 03.05.2023 के आदेश द्वारा खारिज किया था। वर्तमान में जिस आदेश दिनांक 02.05.2023 को इस अधिकरण में चुनौती दी गई है, उसमें भी वही कार्य आवंटन किये गए हैं, जो पूर्व में आदेश दिनांक 21.03.2023 के जरिये दिये गए थे। पूर्व में उक्त कार्य के आवंटन को चुनौती देने वाली अपील को इस अधिकरण द्वारा खारिज किया जा चुका है। उन्ही आधारों पर वर्तमान अपील में आदेश दिनांक 02.05.2023 को चुनौती दी गई है। वर्तमान में प्रस्तुत अपील में वही आधार बताए गए हैं जो पूर्व की अपील में उठाये गये थे एवं पूर्व में अपील गुणावगुण पर खारिज की जा चुकी है। इस अपील में भी कोई भिन्न आधार नहीं होने से अपील खारिज किये जाने योग्य है।
4. अतः अपील में कोई बल नहीं होने से अपील खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भण्डारी)
सदस्य(न्यायिक)